

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 27 मार्च 2021—चैत्र 6, शक 1943

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2021

क्र. 84(23)-वि.निर्वा.-चार-2021-उपचुनाव-41.— भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित आदेश/निर्देश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

1. आदेश क्रमांक 3-4-ID-2021-SDR-VOL.II, दिनांक 26 मार्च 2021
2. निर्देश क्रमांक 576-3-EVM-2020-SDR-VOL.II, दिनांक 25 मार्च 2021

प्रमोद कुमार शुक्ला, उपसचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 25th March, 2021
 4 Chaitra, Saka, 1942

DIRECTION

No.576/3/EVM/2021/SDR-Vol.II:- Whereas, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituency or constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case, specify; and

2. Whereas, as per the proviso to Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, a Printer with a drop box of such design, as may be approved by the Election Commission of India, may also be attached to voting machine for printing a paper trail of the vote, in such constituency or constituencies or parts thereof as the Election Commission of India may direct; and

3. Whereas, the Election Commission has considered the circumstances in 6-Malappuram Parliamentary Constituency of Kerala, 39-Kanniyakumari Parliamentary Constituency of Tamil Nadu 23-Tirupati(SC) Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh & 2-Belgaum Parliamentary Constituency of Karnataka, 125-Morva Hadaf(ST) Assembly Constituency of Gujarat, 13-Madhupur Assembly Constituency of Jharkhand, 47-Basavakalyan & 59-Maski(ST) Assembly Constituencies of Karnataka, 55-Damoh Assembly Constituency of Madhya Pradesh, 252-Pandharpur Assembly Constituency of Maharashtra, 26-Serchhip(ST) Assembly Constituency of Mizoram, 51-Noksen(ST) Assembly Constituency of Nagaland, 110-Pipili Assembly Constituency of Odisha, 179-Sahara, 24-Sujangarh(SC) & 175-Rajsamand Assembly Constituencies of Rajasthan, 87-Nagarjuna Sagar Assembly Constituency of Telangana and 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, announced vide the Election Commission's Press Note No. ECI/PN/17/2021 dated 26th February, 2021 and No. ECI/PN/28/2021 dated 16th March, 2021 and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines (EVMs) and Printers for printing Paper Trail [Voter Verifiable Paper Audit Trail(VVPAT)] are available for taking the poll in above mentioned Parliamentary and Assembly Constituencies, the polling personnel are well trained in efficient handling of EVMs and 'VVPAT Printers' and the electors are also fully conversant with the operation of the EVMs and the VVPAT Printers;

4. Now, therefore, the Election Commission of India, in exercise of its powers under the said Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, and Rule 49A of the Conduct of Elections Rules, 1961, hereby specifies 6-Malappuram Parliamentary Constituency of Kerala, 39-Kanniyakumari Parliamentary Constituency of Tamil Nadu 23-Tirupati(SC)

Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh & 2-Belgaum Parliamentary Constituency of Karnataka, 125-Morva Hadaf(ST) Assembly Constituency of Gujarat, 13-Madhupur Assembly Constituency of Jharkhand, 47-Basavakalyan & 59-Maski(ST) Assembly Constituencies of Karnataka, 55-Damoh Assembly Constituency of Madhya Pradesh, 252-Pandharpur Assembly Constituency of Maharashtra, 26-Serchhip(ST) Assembly Constituency of Mizoram, 51-Noksen(ST) Assembly Constituency of Nagaland, 110-Pipili Assembly Constituency of Odisha, 179-Sahara, 24-Sujangarh(SC) & 175-Rajsamand Assembly Constituencies of Rajasthan, 87-Nagarjuna Sagar Assembly Constituency of Telangana and 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand, notified on 12-03-2021 & 23-03-2021, as the constituencies in which the votes shall be given and recorded by means of EVMs and VVPAT printers in the manner prescribed, under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Election Commission from time to time on the subject.

5. The Election Commission also hereby approves the design of EVMs and VVPAT Printers as developed by the Bharat Electronics Ltd., Bangalore and Electronics Corporation of India Ltd., Hyderabad, which shall be attached to the said machines, to be used for the giving and recording of votes in all the Constituencies.

By Order,



(N.T.BHUTIA)
SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 25 मार्च, 2021

4 चैत्र, शक, 1942

निदेश

सं.576/3/ईवीएम/2021/एसडीआर/खण्ड-II:- यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह प्रावधान किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान और मतों का अभिलेखन ऐसी ढीति, जैसी कि निर्धारित की जाए, से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों में अपनाया जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे; और

2. यतः निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परन्तुक के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथाअनुमोदित डिजाइन वाले ड्राप बॉक्स सहित एक प्रिंटर, ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भागों में मतों के पेपर ट्रेल के मुद्रण के लिए मतदान मशीन के साथ भी जोड़ा जाए जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेश दिया जाए; और

3. यतः, निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 26 फरवरी, 2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./17/2021 एवं दिनांक 16 मार्च, 2021 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./28/2021 के तहत घोषित करल में 6-मालापुरम् संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्रप्रदेश में 23-तिरुपति(अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 125-मोरवा हडफ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 13-मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 47-बासवकल्याण एवं 59-मास्की (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 55-दमोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में 252-पंढरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम में 26-सेरछिप (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड में 51-नोकसेन(अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा में 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ.जा), एवं 175-राजसमन्द विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाणा में 87-नागार्जुन सागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखण्ड में 49-सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, की परिस्थितियों पर विचार किया है, और आयोग संतुष्ट है कि उपरोक्त संसदीय एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में इलेक्टॉनिक वोटिंग मशीनें तथा पेपर ट्रेल [वोटर वेरिफायबल

पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट)] मुद्रित करने के लिए प्रिंटर उपलब्ध हैं, मतदान कार्मिक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए पूर्ण प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों(ई वी एम) एवं वीवीपैट प्रिंटरों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

4. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा दिनांक 12.03.2021 एवं 23.03.2021 को अधिसूचित चानू उप निर्वाचनों में केरल में 6-मालापुरम् संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्रप्रदेश में 23-तिरुपति(अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 125-मोरवा हडफ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 13-मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 47-बासवकल्याण एवं 59-मास्की (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 55-दमोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र में 252-पंढरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, मिजोरम में 26-सेरछिप (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड में 51-नोकसेन(अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा में 110-पिपिली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ.जा.), एवं 175-राजसमन्द विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाना में 87-नागार्जुन सागर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तराखण्ड में 49-सन्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, जहां निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन तथा इस विषय में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुसूचक अनुदेशों के अंतर्गत विहित तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तथा वीवीपैट प्रिंटर के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

5. निर्वाचन आयोग, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलौर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा-विकसित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट प्रिंटरों, जिन्हें सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मत डालने और रिकॉर्ड करने के लिए उपर्युक्त मशीनों से जोड़ा जाएगा, के डिजाइन को भी एतद्वारा अनुमोदित करता है।

आदेश से,


(एन.टी.भूटिया)
सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.3/4/ID/2021/SDR/VOL.II

Dated: 26th March, 2021**ORDER**

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and
2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and
3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and
4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and
5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and
6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to approximate 100% electors in the State of Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, Gujarat, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Nagaland, Odisha, Rajasthan, Telangana & Uttarakhand and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for the current bye-elections from 6-Malappuram Parliamentary Constituency of Kerala, 39-Kanniyakumari Parliamentary Constituency of Tamil Nadu 23-Tirupati(SC) Parliamentary Constituency of Andhra Pradesh & 2-Belgaum Parliamentary Constituency of Karnataka, 125-Morva Hadaf(ST) Assembly Constituency of Gujarat, 13-Madhupur Assembly Constituency of Jharkhand, 47-Basavakalyan & 59-Maski(ST) Assembly Constituencies of Karnataka, 55-Damoh Assembly Constituency of Madhya Pradesh, 252-Pandharpur Assembly Constituency of Maharashtra, 26-Serchhip(ST) Assembly Constituency of Mizoram, 51-Noksen(ST) Assembly Constituency of Nagaland, 110-Pipili Assembly Constituency of Odisha, 179-Sahara, 24-Sujangarh(SC) & 175-Rajsamand Assembly Constituencies of Rajasthan, 87-Nagarjuna Sagar Assembly Constituency of Telangana and 49-Salt Assembly Constituency of Uttarakhand notified on 12-03-2021 & 23-03-2021, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity: -

- (i) Aadhaar Card,
- (ii) MNREGA Job Card,
- (iii) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office,
- (iv) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour,
- (v) Driving License,
- (vi) Pan Card,
- (vii) Smart Card issued by RGI under NPR,
- (viii) Indian Passport,
- (ix) Pension document with photograph,
- (x) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt./PSUs/Public Limited Companies, and
- (xi) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs.

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an EPIC which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPIC

shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral roll under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Indian Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By Order,



(N.T.BHUTIA)
SECRETARY

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं.3/4/आई.डी./2021/एसडीआर/खण्ड-11

दिनांक-26 मार्च, 2021

आदेश

1. यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं, तथा
2. यतः निर्वाचकों का रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा
3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहाँ किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रिकरण नियम, 1960, के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहाँ निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा
4. यतः, उक्त अधिनियम, और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा
5. यतः, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र ई0पी0आई0सी0 जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा
6. यतः, केरल, तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाणा एवं उत्तराखण्डमें निर्वाचकों को 100% निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं, तथा
7. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि दिनांक 12.03.2021 एवं 23.03.2021 को अधिसूचित चालू उप-निर्वाचनों में केरल में 6-मालापुरम् संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडू में 39-कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, आंध्रप्रदेश में 23-तिरुपति(अ.जा) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 2-बेलगाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में 125-मोरवा हडफ (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखण्ड में 13-मधुपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में 47-वासवकल्याण एवं 59-मास्की (अ.ज.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, मध्यप्रदेश में 55-दमोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र में 252-पंढरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र,

मिजोरम में 26--सेरछिप (अ.ज.जा.)विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, नागालैंड में 51-नोकसेन(अ.ज.जा.)विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में 179-सहाड़ा, 24-सुजानगढ़ (अ.जा), एवं 175-राजसमन्दविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों, तेलंगाणा में 87-नागार्जुन सागरविधानसभा निर्वाचन क्षेत्रऔर उत्तराखण्ड में 49-सल्टविधान सभा के उप निर्वाचन के लिए] सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

- (i) आधार कार्ड।
- (ii) मनरेगा जॉब कार्ड,
- (iii) बैंको / डाकघरों द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
- (iv) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- (v) ड्राइविंग लाइसेन्स,
- (vi) पैन कार्ड,
- (vii) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
- (viii) भारतीयपासपोर्ट;
- (ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- (x) राज्य / केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियोंद्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,
- (xi) सांसदों, विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र।

8. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,



(एन.टी.भूटिया)

सचिव